

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ ९(४)(१४८) छात्र./नवीन पोर्टल./सान्ध्यावि/२०१६-१७/

८०२।।

दिनांक : २६/१२/२०१६

आदेश

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुजनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in के Home Page पर New Scholarship Portal (2016-17) पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने, शिक्षण संस्था को प्राप्त समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की विस्तृत जॉच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन फारवर्ड करने एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी कर, स्वीकृतशुदा आवेदन पत्रों का संबंधित विद्यार्थियों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान करने एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित(Forward) करने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विश्वविद्यालय/ बोर्ड/काउन्सिल एवं शिक्षण संस्थाओं का पेपरलेस ऑनलाइन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त शैक्षणिक संस्थाओं का पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन/अनुमोदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	०१ दिसम्बर, २०१६ से प्रारम्भ हो चुका है।
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	२८ दिसम्बर, २०१६ (बुधवार) से ३१ जनवरी, २०१७ (मंगलवार)
3	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (विभागीय जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी) को फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	१० फरवरी, २०१७ (शुक्रवार)
4	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की ऑन लाइन स्वीकृति जारी करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) करने की अंतिम तिथि	२८ फरवरी, २०१७ (मंगलवार)
5	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों की छात्रवृत्ति राशि का जिला कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आई.एफ.एम.एस के माध्यम से ऑनलाइन बिल तैयार करने/करवाने की अंतिम तिथि	०६ मार्च, २०१७ (मंगलवार)
6	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन बिल बनाकर, बजट मद अंकित करवाकर आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ट्रेजरी में भिजवाने की अंतिम तिथि	१६ मार्च, २०१७ (गुरुवार)
7	ट्रेजरी से पारितशुदा बिलों की विद्यार्थियों के परिवारों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में राशि हस्तांतरण करने/करवाने की अंतिम तिथि	२३ मार्च, २०१७ (गुरुवार)

नवीन छात्रवृति पोर्टल 2016–17 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देश :-

1. राज्य में स्थित शीर्ष संस्थाएं जैसे—विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउंसिल, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं राज्य के बाहर स्थित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था आदि द्वारा www.sje.rajasthan.gov.in के Home Page पर New Scholarship Portal (2016-17) पर लिंक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाईल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर इस विभाग को पेपरलेस ऑनलाईन फारवर्ड कर राज्य स्तरीय समिति से ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन किया जाना संभव नहीं होगा।
2. राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाएं जैसे—विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, मेडिकल एवं नर्सिंग शिक्षण संस्थाएं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, प्रबंध संस्थान आदि द्वारा www.sje.rajasthan.gov.in के Home Page पर New Scholarship Portal (2016-17) पर लिंक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाईल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर उससे संबंधित शीर्ष संस्था (Higher Authority) को ऑनलाईन फारवर्ड कर संबंधित शीर्ष संस्था से ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान प्रदर्शित नहीं होगा।
3. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 प्राथमिकता वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। **जैसे— बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।**
5. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु(DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
7. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
8. SC/ST/SBC/EBC/DNT/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज़ / सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज़ को स्कैन कर पोर्टल पर यथारथान अपलोड करना होगा। जैसे –ई-मेल एड्रेस, फेसबुक अकाउन्ट, भामाशाह कार्ड नम्बर, आधार नम्बर, आय का घोषणा (प्रपत्र द), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में

तलाक से संबंधित दस्तावेज, 10 वीं की अंकतालिका, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की रसीद।

9. OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा जैसे – ई-मेल एड्रेस, फेसबुक अकाउन्ट, भामाशाह कार्ड नम्बर, आधार नम्बर, आय का घोषणा (प्रपत्र द), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में बी.पी.एल. हेतु प्रमाण, जैसे-बी.पी.एल. राशनकार्ड/बी.पी.एल. मेडिकल कार्ड/ बी.पी.एल.सूची क्रमांक/बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक आदि। अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में अन्त्योदय कार्ड। स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में स्टेट बी.पी.एल. हेतु प्रमाण, जैसे – स्टेट बी.पी.एल. राशनकार्ड/ स्टेट बी.पी.एल. मेडिकल कार्ड/ स्टेट बी.पी.एल. सूची क्रमांक/ स्टेट बी.पी.एल. सर्वे क्रमांक आदि। अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में तलाक होने का दस्तावेज। विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र।
10. आय का घोषणा पत्र एक पृष्ठीय नियमित प्रपत्र-द में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
11. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे— नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
12. विद्यार्थी की छात्रवृति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
13. विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक संस्थान को दी गई फीस की मदों का पूर्ण विवरण छात्रवृति पोर्टल पर अंकित करवाना होगा। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
14. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/ अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
15. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम सात दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

16. राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी है, अर्थात् गृह जिले के स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जिलाधिकारी, सान्याआवि) को ऑनलाइन फारवर्ड किए जाएंगे। जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण होने के कारण जयपुर, सांगानेर एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (जयपुर, सांगानेर एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर ग्रामीण कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।
17. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु केवल अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, धुमन्तु, अद्वधुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
18. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत पात्रता एवं जानकारी www.sje.rajasthan.gov.in के Home Page पर New Scholarship Portal (2016-17) पर देखी जा सकती है एवं विभागीय हेल्प डेस्क कमरा नं. 105 / दूरभाष 0141-2226640 पर व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)(148) छात्र./ नवीन पोर्टल./सान्याआवि/2016-17/

दिनांक : ५०२११-५२० 26/12/2016

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
8. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
9. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
10. निदेशक, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर
13. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
14. निदेशक संस्कृत शिक्षा शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर
16. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर
17. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
18. जिला कलेक्टर (समस्त)
19. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास
20. अतिरिक्त निदेशक (अ.जा./जन.जा. कल्याण), मुख्यावास।

21. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
22. संयुक्त निदेशक (दिवनारायण), सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
24. कोषाधिकारी समस्त.....
25. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा/जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृहतरी मतस्य विश्वविद्यालय अलवर/बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर/श्री कर्ण नरेन्द्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर/कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर/विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर/आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/राजस्थान पुलिस विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, जोधपुर/जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाडा.....
26. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
27. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान).....
28. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), समस्त.....
29. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, समस्त.....
30. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
31. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय.....
32. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त.....
33. प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
34. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
35. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
36. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
37. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
38. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
39. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र को आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
40. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

(राकेश शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक
 (अनु. जाति/जनजाति कल्याण)